

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

क्रमा संख्या :- 36/2022 उप ख

बनाम राजा कुबू इला गुर्जर सिन्डिकेट केन्द्र - हल्का करेड़ा

प्रार्थी.....

बनाम

अदानी एंड जोषा गुर्जर सिन्डिकेट केन्द्र - हल्का करेड़ा - करेड़ा
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 28/3/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत आवेदन किया कि ग्राम डोडरगा पटवार हल्का निलेखा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या आराजी नम्बर 783 784 785 789
0-0253 / 0-0253 / 0-4173 / 0-1138 /

कुल किता 4 रकबा 0.5817

पर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण ये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की सीमा पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/3/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रकरण नम्बर से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम डोडरगा पटवार हल्का निलेखा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 783 784 785 789
0-0253 / 0-0253 / 0-4173 / 0-1138 /

कुल किता 4 रकबा 0.5817

प्रदत्त भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-सर्वेक्षण निरीक्षक को 450/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की सीमा में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा

नोट :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा
सहायक कलक्टर करेड़ा